न्यायालय अपील अधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:– गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्या: GCMS No.-2024/563

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थीगण**
1–पार्वती पत्नी राधाकिशन भाटी उम्र–75 वर्ष 2–राधाकिशन भाटी पुत्र स्व. भंवरलाल भाटी, उम्र–78 वर्ष जाति बावरी, निवासीगण– करणी बस्ती, चांदणा भाकर, पीएसप्रतापनगर, जोधपुर		1–नरसीराम पुत्र राधाकिशन भाटी 2–हीरादेवी पत्नी नरसीराम भाटी जाति बावरी, निवासीगण– करणी बस्ती, चांदणा भाकर, पीएस प्रतापनगर, जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 16(1), माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 03.07.2024 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) द्वारा प्रकरण संख्या 54/2023 पार्वती देवी व अन्य बनाम नरसीराम व अन्य में पारित किया गया।

उपस्थिति:–

1–अपीलार्थीगण उपस्थित।
2–प्रत्यर्थीगण उपस्थित।

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण की ओर से उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 बाबत अप्रार्थीगण से 10,000/– भरण पोषण दिलाने व अप्रार्थीगण द्वारा निर्मित मकान को खाली कराने हेतु प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) द्वारा सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2024 को पारित किया गया, जिसमें अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज (GCMS No.-2024/563) कर प्रत्यर्थीपक्ष/अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण के

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

नोटिस तामिल दिनांक 29.01.2025 को प्राप्त हुए तथा अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। नियत सुनवाई दिनांक 05.02.2025 को उपस्थित प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण व अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण का पक्ष सुना गया, इस प्रकार उभयपक्षकरान की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में बतलाया कि अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या–1 व 2 क्रमशः पुत्र व पुत्रवधु है तथा अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)) के समक्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत अप्रार्थीगण से भरण पोषण राशि दिलाने एवं मकान खाली कराने का आवेदन करने के उपरांत भी अपीलार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान नही कर विधिक भूल की है। बहस में यह भी कहा गया कि प्रार्थी/अपीलार्थी संख्या 1 आंखो से अंधी है जिनको कुछ दिखाई नही देता है व प्रार्थी/अपीलार्थी संख्या 2 वृद्ध होने से कम सुनाई देता है। अपीलार्थीगण का स्वयं का खरीदसुदा, कब्जासुदा व पट्टासुदा एक मकान उपरोक्त वर्णित पते पर आया हुआ है जिसके तल मंजिल में प्रत्यर्थीगण निवास करते है व प्रथम मंजिल अपीलार्थीगण अपने दूसरे पुत्र राजुराम के साथ निवास करते है। राजूराम ही शुरू से अपीलार्थीगण का भरण पोषण, सेवा चाकरी व ईलाज करवाता है व अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या–1 शराबी प्रवृति का व्यक्ति है व अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या–2 झगड़ालू प्रवृति की महिला है जो आये दिन अपीलार्थीगण के साथ मारपीट व लडाई झगडा करते है तथा अपीलार्थीगण को उक्त मकान अपने नाम करवाने के लिए जबरदस्ती उन पर दबाव बनाते है व अपीलार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल कर जबरदस्ती हडप करना चाहते है। अप्रार्थीगण ने आज दिन तक अपीलार्थीगण का किसी प्रकार का कोई भरण पोषण, सेवा चाकरी व ईलाज नही करवाया है। अपीलार्थीगण काफी वृद्ध व्यक्ति है इसलिए उनको प्रथम मंजिल में चढ़ने–उतरने में काफी परेशानी होती है इसलिए अपीलार्थीगण तल मंजिल में निवास करना चाहते है, इसके लिए अप्रार्थीगण को अपीलार्थीगण ने कई बार मकान खाली करने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण इस बात पर भडक जाते है व अपीलार्थीगण के साथ मारपीट कर उनको धमकिया देते है कि मकान उनके नाम कर दे। इस प्रकार अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण से तल मंजिल मकान को खाली करवाना अति आवश्यक है ताकि अपीलार्थीगण अपना शेष जीवन शांतिपूर्वक निवर्हन कर सके। बहस में आगे बतलाया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मकान के वास्तविक रहवासीय स्थिति के संबंध में नायब तहसीलदार जोधपुर से जाँच करवाई गई जिसमे नायब तहसीलदार द्वारा मात्र खानापूर्ति कर तल मंजिल में निवासरत अप्रार्थीगण से पूछताछ कर नक्शा बनाकर पेश किया। नायब तहसीलदार द्वारा मौके पर न तो अपीलार्थीगणो से कोई पूछताछ की व न ही आस पडौस से कोई स्वतन्त्र गवाहो से वास्तविक रहवासीय स्थिति के बारे मे जानकारी ली। नायब तहसीलदार द्वारा केवल अप्रार्थीगण की बातो पर विष्वास कर वास्तविक रहवासीय स्थिति की रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की जो विधि अनुसार सही व सत्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण के जवाब में यह तथ्य माना कि सूरसागर जोधपुर में स्थित

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

मकान के किराये के रूप में अपीलार्थीगण को 12000/– रूपये प्रतिमाह किराया प्राप्त हो रहा है जो सरासर गलत व मनगंढत बल्कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को नजर अन्दाज कर बिना कोई जांच किये आदेश पारित किया। बहस के अंत में प्रार्थीगण/ अपीलार्थीगण द्वारा खरीदसुदा, स्वामित्वसुदा, कब्जासुदा मकान जो चान्दणा भाकर, जोधपुर में आया हुआ है, को अप्रार्थीगण/प्रत्यथीगण से तुरन्त प्रभाव से खाली करवाया जाने व अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण से भरण पोषण, चिकित्सा व देखभाल आदि बाबत 10000/– रूपये मासिक दिलवाये जाने का आदेश प्रदान किये जाने की इस्तदुआ की।

अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में बतलाया कि अपीलार्थीगण का स्वयं का खरीदसुदा, कब्जासुदा व पट्टासुदा मकान अपीलार्थी संख्या 1 का न होकर अपीलार्थी संख्या 2 के नाम का है। इसी मकान में तल मंजिल में तीन कमरे, रसोई, लेट–बाथ निर्मित है जिसमें से केवलमात्र एक कमरे में प्रत्यर्थीगण निवास करते है बाकि समस्त कमरों पर अपीलार्थीगणों व उनके पुत्रों का कब्जा है। ऐसी बात का वर्णन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मंगवाई गई मौका रिपोर्ट में भी जो कि संबंधित नायब तहसीलदार ने नजरी नक्शा सहित बताया हुआ है। उसमें भी प्रत्यर्थीगण के पास केवलमात्र एक कमरा होना बताया गया है, जबकि तल मंजिल में स्थित अन्य सभी कमरे एवं प्रथम मंजिल में निर्मित सभी कमरे अपीलार्थी एवं उनका पुत्र राजूराम निवास कर रहा है। अपीलार्थीगण का यह कहना भी गलत है कि अपीलार्थी की सेवा व ईलाज का खर्चा उनका दूसरा पुत्र राजूराम का रहा है जबकि इस मकान के निर्माण में प्रत्यर्थीगणों ने अपने स्वयं के पसीने की कमाई लगाई हुई है तथा इस मकान का निर्माण करवाया हुआ है, जो काफी वर्षों पुराना है। अपीलार्थी प्रत्यर्थीगणों से मकान खाली करवाकर राजूराम के जो दो पुत्र है, उनके नाम यह मकान करवाना चाहता है जबकि पार्वती यानि अपीलार्थी संख्या 1 के नाम का यह मकान ही नहीं है। प्रत्यर्थीगणों ने आज दिन तक अपीलार्थी से किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं किया और न ही इस बाबत् किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट आज दिन तक दर्ज हुई और न ही प्रत्यर्थीगण कभी भी शराब का सेवन करता है क्योंकि प्रत्यर्थीगण के पांच पुत्रियां है जो प्रत्यर्थीगण सहित एक ही कमरे में निवास करते है। अपीलार्थी संख्या 1 को 1250/– रूपये प्रतिमाह तथा अपीलार्थी संख्या 2 को 1150/– रूपये प्रतिमाह वृद्धावस्था पैंशन मिल रही है तथा अपीलार्थीगणों को सरकार की ओर से प्रतिमाह 35 किलों गेहूँ फ्री मिलते है तथा इसके अलावा 25 लाख रूपये का प्रत्येक अपीलार्थीगण का बीमा ईलाज के लिए फ्री किया गया है तथा 100 यूनिट बिजली भी अपीलार्थीगण को फ्री में मिल रही है इसके अलावा अपीलार्थी संख्या 1 का मकान जो कि सूरसागर में आया हुआ है, उसका भी किराया 12000/– रूपये प्रतिमाह अपीलार्थीगण को मिल रहा। बहस के अंत में अप्रार्थीगण द्वारा अपील को खारिज किये जाने की इस्तदुआ की।

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपील में मुख्य रूप से अप्रार्थीगण से भरण पोषण राशि 10,000/– दिलाने व अपने रहवासीय मकान को अप्रार्थीगण से खाली करवाने का निवेदन किया गया। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 वरिष्ठ नागरिकों एवं माता–पिता के संरक्षण हेतु कवच/बचाव के लिए है न कि हथियार के रूप में उपयोग में लाने हेतु बनाया गया है तथा अधिनियम की धारा 23 के अनुसार जायदाद से बेदखल कर कब्जा सुपुर्द कराने का प्रावधान नही है। उक्त अधिनियम का मुख्य मंतव्य वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है न कि जमीन–जायदाद के विवादों का निस्तारण करना, ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण व प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण के मध्य सम्पति का विवाद का निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाना उचित है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अप्रार्थीगण को यह आदेशित किया जाता है कि वे अपीलार्थीगण के बैंक खाते में प्रतिमाह 05 तारीख तक भरण पोषण हेतु 5,000/– रूपये की राशि जमा करायेंगे तथा प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के रहवास व जीवनव्यापन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करेंगे। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित अधीनस्थ अधिकरण को सूचनार्थ एवं पालनार्थ पुनः लौटाया जावे। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर
अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

आदेश आज दिनांक 11.02.2025 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर
अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)